न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 140/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00149)

1. कमलेश पुत्र हीरया जाति कीर निवासी डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा राज.।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जमनालाल (फौत)
   1/1. रेवडी पत्नि जमनालाल
   1/2. मुकेश पुत्र जमनालाल
   1/3. सुल्तान पुत्र जमनालाल
2. राधाकिशन पुत्र भूरया
3. धन्नी बेवा भूरया
   समस्त जाति कीर निवासी डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अलाटमेन्ट आदेश दिनांक 14.06.1967 बहक भूरया पुत्र चून्या जाति कीर निवासी डिगो तहसील लालसोट को निरस्त करने उनवानी कमलेश बनाम जमनालाल वगै0 प्रकरण संख्या 05/2016 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2018 के सम्बन्ध में।

उपस्थित :—

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक—10.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 09.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डिगो तहसील लालसोट में स्थित आराजी खसरा नं. 29, 32 एवं 49 हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/3 व 2 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 03 के पति भूरया पुत्र चून्या जाति कीर निवासी डिगो को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 को निरस्त करवाने हेतु अपीलान्ट कमलेश पुत्र हीरया ने आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 ग्राम डिगो तहसील लालसोट के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 09.01.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट कमलेश पुत्र हीरया द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2018 निरस्त करते हुए, अलाटमेन्ट आदेश दिनांक 14.06.1967 बहक भूरया पुत्र चून्या जाति कीर निवासी डिगो तहसील लालसोट को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अलाटमेंट आदेश दिनांक 14.06.1967 विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 की पालना

अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व उनके पिता ने आज तक नहीं की है, आराजी खसरा नं. 29 एवं खसरा नं. 32 पर आज भी प्रार्थी का ही कब्जा व स्वामित्व है, तथा खसरा नं. 49 पर भी अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्स का कोई कब्जा नहीं है। आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 पारित करने से पूर्व किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया ना ही कोरम पूरा था, बाद में गुपचुप में कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, इसलिए आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 द्वारा आराजी खसरा नं. 29 में से 04 बीघा का आवंटन किया गया था, जबकि अलाटमेंट 05 बीघा का किया गया था, जबकि खसरा नं, 29 का कुल रकबा 05 बीघा का ही नहीं है, इस प्रकार आवंटन आदेश फर्जी है तथा आवंटन मौके पर नहीं किया गया। आवंटन के लिए किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई तथा नियमों व कानून की घोर अवहेलना की गई है, इसलिए आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन के समय आवंटित की गई भूमि पर अपीलान्ट के पिता का कब्जा काश्त था, और भूमि को वैकेट घोषित नहीं की गई थी। इसलिए आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 निरस्त किये जाने योग्य है।

आवंटित भूमि पर प्रार्थी का शुरू से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की जानकारी में आने के बाद उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने उपरोक्त अहम तथ्यों को नजरंदाज करते हुए जवाब बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगायत 03 के अधिवक्ता के उठाये गये इन मौखिक कथनों पर कि "1967 के आवंटन के विरूद्ध अपील संधार्य नहीं है। आवंटन नियम 1957 के तहत किया गया है। 1970 के नियम आवंटन नियम इस पर प्रभावी नहीं होते हैं।' को आधार बना कर सरासर गलत विवेचन करते हुए नियम व कानून के विरूद्ध जाकर केवल यह फाईन्डिग दर्शाते हुए कि "प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन दिनांक 14.06.1967 के विरूद्ध अपील/प्रार्थना पत्र किन नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, स्पष्ट नहीं है। प्रश्नगत आवंटन के विरूद्ध लगभग 39 वर्ष पश्चात् अपील/प्रार्थना पत्र पेश किया है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।' और इस प्रकार की अनुचित व गलत फाईन्डिग के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 को निरस्त करने के सम्बन्ध में नियम व कानून के प्रावधानानुसार सही व सम्पुष्ट आधारों पर, प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को दिनांक 09.01.2018 को पारित किये गये निर्णय द्वारा खारिज फरमा दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2018 में दिनांक 14.06.1967 के विवादित आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र को किन नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, स्पष्ट नहीं होना मानकर निर्णय पारित किया है, जबकि स्वयं योग्य अधीनस्थ न्यायालय को नियमों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अंकन किया गया है, इससे यह कयास नहीं लगाया जा सकता है, कि मिन अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आवंटन के पुराने नियम 1957 में न पेश कर नये आवंटन के नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है। और फिर मिन अपीलान्ट ने अपनी मौखिक बहस में भी प्रश्नगत विवादित आवंटन के सम्बन्ध में प्रचलित आवंटन नियम 1957 के अनुसरण में आवंटन के अवैध व नाजायज होने के सम्बन्ध में तर्क प्रस्तुत किये थे, किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलान्ट द्वारा विधि अनुरूप प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को उपरोक्त गलत विवेचन करते हुए खारिज फरमा दिया जो कि तथ्य व कानून की बहुत बड़ी गलती है, ऐसी स्थिति में निर्णय जेरे अपील दिनांक 09.01.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में प्रश्नगत विवादित आवंटन आदेश भूमि आवंटन नियम 1957 के अनुसार किया जाना अंकित किया है, तो अपीलान्ट द्वारा भी प्रश्नगत विवादित आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र/अपील भी उक्त नियम में ही पेश की गई है, और फिर प्रार्थी अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यही कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, कि प्रार्थना पत्र आवंटन के नये नियम 1970 के अनुसरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

में प्रस्तुत किया गया है। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/अपील को विरोधाभासी अविश्वसनीय कथन अंकित करते हुए खारिज किया है, जो कि तथ्य व कानून की बहुत बड़ी गलती है, ऐसी स्थिति में निर्णय जेरे अपील दिनांक 09.01.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/अपील की सुनवाई के प्रक्रम पर यह देखना आवश्यक व न्याय सम्मत था, कि प्रश्नगत विवादित आवंटन रेस्पोडेन्ट्स 01 लगायत 03 के पूर्वज आवंटी भूरया पुत्र चून्या जाति कीर निवासी डिगो तहसील लालसोट को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर पर्पज रूल्स, 1957 के तहत कानूनन सही हुआ था अथवा नहीं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अहम पहलू को पूरी तरह नजरंदाज कर दिया जो कि तथ्य व कानून की बहुत बड़ी गलती है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर पर्पज रूल्स, 1957 के अनुसार अलॉटमेंट कमेटी द्वारा अलॉटमेंट होने के पश्चात् गैर खातेदारी का पट्टा जारी किया जाता था, जिसमें शर्ते यह रहती है, कि अलॉट शुदा भूमि में से अलॉटी आधी भूमि तो अलॉटमेंट के प्रथम वर्ष में काश्त करेगा तथा शेष रही आधी भूमि पर भी दूसरे वर्ष काश्त करनी होगी। यदि गैर खातेदार अलॉटमेंट नियम व शर्तों का पूरा पालन नहीं करेगा, तो खातेदारी पाने का अधिकारी नहीं होगा, तथा किया गया आवंटन खारिज योग्य होगा। उक्त नियम के अनुक्रम में यह तथ्य पूरी तरह साबित था, कि आवंटित भूमि पर आवंटी व उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट्स 01 लगायत 03 को कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अहम् पहलू व नियम को पूरी तरह नजरदांज कर दिया और फिर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 लगायत 03 का ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, कि उनके द्वारा आवंटन के पश्चात् जारी किये गये पट्टे की शर्तो की पालना की गई हो। लेकिन फिर भी अधीनस्थ नयायालय ने निर्णय जेरे अपील दिनांक 09.01.2018 पारित कर मिन अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जो कि तथ्य व कानून की बहुत बड़ी गलती है।

अपीलान्ट का विवादित आवंटित भूमि खसरा नं. 29 रकबा 4 बीघा स्थित ग्राम डीगो तहसील लालसोट पर बजमाने बुजर्गान कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो आज दिन तक बरकरार है, इस प्रकार आवंटन के दिन आवंटी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं था। और फिर अपीलान्ट के पिता हरिया पुत्र चून्या के हक में तहसीलदार लालसोट द्वारा पूराने कब्जा काश्त के आधार पर नियमन की कार्यवाही भी की गई थी। इस प्रकार साबित था, कि आवंटी भूरया पुत्र चून्या व उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 लगायत 03 ने आवंटित भूमि खसरा नं. 29 रकबा 4 बीघा स्थित ग्राम डीगो तहसील लालसोट पर कब्जा काश्त नहीं होने की स्थिति में आवंटन की शर्तो को कभी भी पूरा नहीं किया, और पोशिदा तौर पर रेवेन्यू अधिकारियों से सांठ–गांठ व मिलिभगत करते हुए उक्त विवादित आराजी भूमि का आवंटन कराने से लेकर खातेदारी तक प्राप्त कर ली। लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अहम् पहलूओं को पूरी तरह नजरदांज करते हुए निर्णय जेरे अपील दिनांक 09.01.2018 पारित कर दिया जो कि तथ्य व कानून की बहुत बड़ी गलती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में विवादित आवंटित भूमि के सम्बन्ध में आवंटी भूरया पुत्र चून्या के हक में खोले गये नामांन्तकरण संख्या 145 दिनांक 12.06.1970 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जो स्वीकार होकर नामान्तकरण संख्या 145 को निर्णय दिनांक 20.06.2006 द्वारा खारिज फरमा दिया गया था। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिस पर उक्त अपील में दिनांक 10.04.2007 को निर्णय करते हुए न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 20.06.2006 को निरस्त फरमा दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध मिन अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर में निगरानी उनवानी कमलेश बनाम धन्नी, निगरानी संख्या 3222/2007 प्रस्तुत की गई, जिसका

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 24.03.2007 को हुआ था, जिसमें निगरानी के सीमित दायरों को देखते हुए माननीय राजस्व मंडल, अजमेर ने निगरानी खारिज कर दी, लेकिन माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय में अंकित किया है, कि "जहाँ तक आवंटन की वैधता के निर्धारण का प्रश्न है, वह नियम 14 (4) की कार्यवाही में परीक्षण उपरान्त हो सकेगा। नामान्तकरण एक वित्तीय कार्यवाही है, इसका उद्देश्य मात्र लगान सम्बन्धित कार्यवाही है।" और उक्त तथ्य योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी रहे थे, कि मिन अपीलान्ट पूर्व में कई वर्षों तक लंगातार उक्त विवादित आवंटित भूमि के सम्बन्ध में खोले गये नामान्तकरण को लेकर विभिन्न न्यायालय में चली प्रक्रियाओं में व्यस्त रहा है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत विवादित आवंटन को निरस्त करने सम्बन्धित प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/अपील को करीब 39 वर्ष की देरी से प्रस्तुत करने का कतई गलत आधार बनाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र/अपील को 39 वर्ष समयपश्चात् पेश करना मानते हुए उक्त तकनीकि आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज फरमा दिया, जबकि आवंटी भूरया पुत्र चून्या के हक में किया गया आवंटन राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर पर्पज रूल्स, 1957 के प्रावधानों के विपरीत व कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किये बिना किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय को मैरिट पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर पर्पज रूल्स, 1957 के प्रावधानों के संदर्भ में निर्णय किया जाना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तकनीकि आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया, जो कि न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी नहीं देखा कि भूरया पुत्र चून्या जाति कीर निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट के पक्ष के किया गया आवंटन किस प्रकार से सही है, उसमें आवंटन की शर्तों की पालना की गई थी अथवा नहीं। तथा आवंटन विधि सम्मत् किया गया था अथवा नहीं। लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवश्यक पहलूओं को पूरी तरह नजरंदाज करते हुए केवल कपोल कल्पना के आधार पर, विवादित आवंटन के सम्बन्ध में मुख्य व आवश्यक परीक्षण किये बिना ही, मात्र तकनीकि आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र/अपील खारिज फरमा दी। उक्त स्थिति में निर्णय जैर अपील दिनांक 09.01.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2018 को निरस्त फरमाते हुए, अलाटमेन्ट आदेश दिनांक 14.06.1967 बहक भूरया पुत्र चून्या जाति कीर निवासी डिगो तहसील लालसोट को निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2018 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम डिगो तहसील लालसोट में स्थित आराजी खसरा नं. 29, 32 एवं 49 हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/3 व 2 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 03 के पति भूरया पुत्र चून्या जाति कीर निवासी डिगो को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 द्वारा किया गया था। अपीलान्ट द्वारा की गई अपील न्यायालय हाजा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णित अपील संख्या 38/2006 उनवानी जमनालाल बनाम कमलेश में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2007 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 20.06.2006 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 12.06.1970 को बहाल रखा गया है एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी उक्त निर्णय दिनांक 10.04.2007 के विरूद्ध निगरानी को दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

24.03.2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अपीलांट स्वंय ही कथित रूप से अतिक्रमी थे। जिन्हें किसी भी प्रकार से आवंटन निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं था। यदि आवंटन निरस्त कराना था तो तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भू आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। यह कहना कि रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नही है, यह स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलान्ट यदि भूमि पर अधिकार मानता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 में खातेदारी हेतु दावा करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट को भूमि आवंटन नियम 1957 के अनुसार उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आवंटन के विरूद्ध लगभग 39 वर्ष पश्चात अपील/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसके आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1957 ग्राम डिगो तहसील लालसोट के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2018 पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2018 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर